छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण क्रमांक : **M-PRO-2018-00097**

श्री दुष्यंत कुमार सुलाखे विरूद्ध श्री शिवकौशल परगनिया

प्रोजेक्ट–न्यू राजधानी विहार फेस– II, जामगॉव, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
06/11/2018	– प्रकरण प्रस्तुत। – प्रकरण में उभय पक्ष उपस्थित । – प्रकरण का अवलोकन व परिशीलन किया। प्रस्तुत प्रकरण में आवेदक ने उल्लेख किया गया है उसके द्वारा अनावेदक के आवासीय परियोजना ''न्यू राजधानी विहार फेस–II'' जामगॉव, रायपुर (छ.ग.) में 2000 वर्गफुट का प्लॉट रूपये 1,62,000/– में क्रय कर दिनाँक 23.03.2009 को रजिस्ट्री कराई गई। प्रकरण में आवेदक का कथन है कि अनावेदक द्वारा परियोजना के ब्रोशर में विशेष सुविधाओं के अतंर्गत कैम्पस के चारो तरफ बारबेट वायर फेसिंग, मुख्य मार्ग 25 फीट WBM रोड, और अंदर का मार्ग 20 फीट रोड विकसित कर देने का वादा किया गया था, किन्तु 9 वर्ष का समय व्यतीत हो जाने के उपरांत भी अनावेदक द्वारा उपरोक्त कार्यो को प्रस्तावित स्थल में प्रारंभ नही किया गया है। आवेदक ने ब्रोशर की प्रति भी प्रस्तुत की। आवेदक का यह भी कथन है कि अनावेदक द्वारा अभी तक प्लॉट का सीमांकन एवं आबंटन भी नहीं किया गया। आवेदक द्वारा ब्रोशर अनुसार विकास कार्यों को पूर्ण कराए जाने के साथ प्लॉट के सीमांकन एवं आंबटन कराने की प्रार्थना की है। – प्रकरण में अनावेदक को नोटिस जारी कर सुनवाई प्रारंभ की गई। सुनवाई के दौरान अनावेदक द्वारा प्राधिकरण को यह विश्वास दिलाया गया कि ब्रोशर में उल्लेखित सभी विकास कार्य पूर्ण करने हेतु समय की मांग की गई। प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त समयावधि के भीतर आवेदक ने दिनाँक 30.10.2018 को उपस्थित होकर अवगत कराया गया कि अनावेदक द्वारा सभी विकास कार्य पूर्ण कर लिये गये हैं एवं प्लॉट का सीमांकन कर उन्हें आबंटित कर दिया गया	

छत्तीसगढ़ भू-संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

छत्तीसगढ़ भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण रायपुर

आदेश पत्रिका

प्रकरण कमांक : **M-PRO-2018-00097**

श्री दुष्यंत कुमार सुलाखे विरूद्ध श्री शिवकौशल परगनिया

प्रोजेक्ट–न्यू राजधानी विहार फेस– II, जामगॉव, रायपुर (छ.ग.)

आदेश कार्यवाही की तारीख व स्थान	आदेश अथवा कार्यवाही	पक्षकार अथवा प्रतिनिधि के हस्ताक्षर
	है। भूमि आबंटन की सूचना एवं नक्शा भी उनके द्वारा प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया गया। – प्रस्तुत विचाराधीन प्रकरण में उभय पक्षों के मध्य आपसी सहमति व सुलह होने तथा आवेदक के पक्ष में प्रश्नाधीन प्लॉट की सीमांकन एवं आबंटन हो जाने व उसे वांछित अनुतोष प्राप्त हो जाने के फलस्वरूप प्रकरण में अग्रिम कार्यवाही की आवश्यकता न होने से प्रकरण समाप्त कर निराकृत किया जाता है। – प्रकरण नस्तीबद्ध करते हुए अभिलेखागार भेजा जावे। (राजीव कुमार टम्टा) सदस्य भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर (विवेक ढाँड) अध्यक्ष भू–संपदा विनियामक प्राधिकरण छत्तीसगढ़, रायपुर	